फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

छगनसिंह वगै0 बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0ए0 मु0नं0–41/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105, 137 वाके रामा झापाडावास पटवार हल्का मोहचिंगपुरा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगणों के पिता का नाम गोरधनसिंह पुत्र कल्याणसिंह हि0 1/5 दर्ज है लेकिन सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम ज्ञानसिंह पुत्र कल्याणसिंह है लेकिन जमाबंदी में गोरधनसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगणों के अपने हक की सुख सुविधाओं एवं योजनाओं से वंचित होना पड रहा है तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यू भी हो चुकी है तथा नाम गलत होने से प्रार्थीगण विरासतन नामान्तकरण भी नहीं खुलवा सके है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम ज्ञानसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार बहरावण्डा से भी जवाब तलब किया गया है। जवाब तहसीलदार बहरावण्डा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि ज्ञानसिंह पुत्र कल्याणसिंह का नाम गोरधनसिंह पुत्र कल्याणसिंह भी है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105, 137 वाके रामा झापाडावास पटवार हल्का मोहचिंगपुरा तह0 बहरावण्डा में प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरधनसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर ज्ञानसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)